[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना संख्या **7**/2019- सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक **07** फरवरी, 2019

सा.का.नि. (अ.) - जहां कि ब्राजील, इंडोनेशिया और थाईलैंड (एतश्मिन पश्चात जिन्हें विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित "नॉन-प्लास्टिसाइज्ड इंडस्ट्रीयल ग्रेड नाइट्रोसेलुलोज डेम्पड इन आइसोप्रोपाइल एल्कोहल जिनमें नाइट्रोजन अवयव की प्रतिशतता 10.7**%** से लेकर 12.2**%** हो" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के उप शीर्षक 3912 के अंतर्गत आता है, के आयात के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना संख्या 6/12/2018-डीजीएडी, दिनांक 31 दिसम्बर, 2018, जिसे दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।, खंड । में प्रकाशित किया गया था, में अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि–

(1) प्रश्नगत उत्पाद को विषयगत देशों से इसके सामान्य मूल्य से कम पर निर्यात किया गया था ।
(2) विषयगत देशों से इन विषयगत आयात के कारण यहां के घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई है ।
(3) यह सारवान क्षति विषयगत देशों से विषयगत वस्तुओं के फालतू आयात के कारण हुई है ।

और जहां कि घरेलू उद्योग को हुई इस क्षति को दूर करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी ने विषयगत देशों में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित विषयगत वस्तु के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाने की सिफारिश की है ।

अत: अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, उक्त निर्दिष्ट प्राधिकारी के अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्द्वारा, विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में निर्दिष्ट है, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आती हैं, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलत: उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है और भारत में आयातित है पर कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप की प्रति इकाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा –

क्र.सं.	उप शीर्षक या टैरिफ मद	वस्तु का विवरण	मूलतः उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा

सारणी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	3912	नॉन-प्लास्टिसाइज्ड इंडस्ट्रीयल ग्रेड नाइट्रोसेलुलोज डेम्पड इन आइसोप्रोपाइल एल्कोहल जिनमें नाइट्रोजन अवयव की प्रतिशतता 10.7% से लेकर 12.2% हो”	थाईलैंड	थाईलैंड समेत कोई भी देश	नाइट्रो केमिकल इंडस्ट्री लि. या नोबेल एनसी कं.लि.	0.567	कि.ग्रा.	अमेरिकी डॉलर
2.	3912	-तदैव-	थाईलैंड	थाईलैंड समेत कोई भी देश	उपर्युक्त 1 से भिन्न कोई उत्पादक	0.906	कि.ग्रा.	अमेरिकी डॉलर
3.	3912	-तदैव-	विषयगत देशों से भिन्न कोई भी देश	थाईलैंड	कोई भी	0.906	कि.ग्रा.	अमेरिकी डॉलर
4.	3912	-तदैव-	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया समेत कोई भी देश	पीटी आईएनटीआई सेलुलोस्यूटामा	0.235	कि.ग्रा.	अमेरिकी डॉलर
5.	3912	-तदैव-	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया समेत कोई भी देश	उपर्युक्त 4 से भिन्न कोई उत्पादक	0.475	कि.ग्रा.	अमेरिकी डॉलर
6.	3912	-तदैव-	विषयगत देशों से भिन्न कोई भी देश	इंडोनेशिया	कोई भी	0.475	कि.ग्रा.	अमेरिकी डॉलर
7.	3912	-तदैव-	ब्राजील	ब्राजील समेत कोई भी देश	कोई भी	0.646	कि.ग्रा.	अमेरिकी डॉलर
8.	3912	-तदैव-	विषयगत देशों से भिन्न कोई भी देश	ब्राजील	कोई भी	0.646	कि.ग्रा.	अमेरिकी डॉलर

2. लगाए गए या प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इससे पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है, या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) लागू रहेगी और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा ।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम,

1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वही तारीख होगी जो कि उक्त अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित हुई होगी ।

[फाइल संख्या-354/17/2019 –टीआरयू]

(डॉ. श्रीपार्वती एस.एल.)
अवर सचिव, भारत सरकार